FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम..........

खेताराम बनाम केहरा वगैरा

किस्म मुकदमा २१० आर.ए. नं. 364/19 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछमाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/01/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/01/2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थी सं: 2 से 6, 9, 12, 14 व 16 की ओर से वकील खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, शेष विप्रार्थी सं: 1, 7, 8, 10, 11, 13, 15 व 17 से 26 के नोटिस रजिस्टर्ड भेजे जावें। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली सहायक पेशी तिथि 11/3/2020 को पेश हो।	

11/3/2020 पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उ... ...पीठासीन अधिकारी दिगर का... ...हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 8/6/2020 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

0/6/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/08/2020 को पेश हों।

05/08/2020

प्रार्थीगण के वकील उप० / विप्रार्थीगण सं: 2 से 6, 9, 12, 14 व 16 के वकील की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते हैं, शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं उप० नहीं होने से पूर्व में जारी नोटिस को एक माह से अधिक समय व्यतीत होने से विप्रार्थी सं. 1, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17 से 26 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है। शेष विप्रार्थी के जवाब हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/08/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

31/08/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 से 6, 9, 12, 14 व 16 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश ~~नहीं~~ किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। हेतु वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/09/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/20	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 से 6, 9, 12, 14 व 16 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में उक्त खसरो से सम्बधित राजस्व अपील ~~संख्या~~ मोहराम V/S ग्राम प० आउ विचाराधिन है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते नेयमबन्दी के आदेश किये जाते है तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा तथा खातेदारो के बीच विवाद एवं तनाजा बढ़ेगा इसलिए उक्त नेयमबन्दी आवेदन को खारीज फरमाया जावे। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की अपील के विचाराधिन रहते नेयमबन्दी आदेश किया जाता है तो उक्त खातो के उपर व मौके की स्थिति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि उक्त अपील विप्रार्थीगणो के पक्ष में निस्तारित होती है तो अपील में चाही गई रिलिफ स्वतः मोके ही विप्रार्थीगणों को मिल जायेगी। नेयमबन्दी आदेश किये जाने से रेकर्ड से सम्बधित कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे। अतः दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामड़ को कमिश्नर व सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त [illegible]	

[signature]
सहायक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी मेड़बन्दी मौके पर कमिश्नर मुकर्रर कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बरान होकर दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व रे
अहकाम जा
हुक्म की ता
में जारी हुए

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 567

दिनांकः– 07/09/2020

प्रार्थी

खेताराम पुत्र सामाराम जाति जाट
निवासी कालानाड़ा झाक

बनाम

विप्रार्थीगण

केहराराम पुत्र मोतीराम वगैरा
निवासी कालानाड़ा झाक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 364/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाड़ा पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 647/468 रकबा क्रमशः 99.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 568–572

दिनांकः– 07/09/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक तहसील बायतु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र सामाराम
4. विप्रार्थीगण केहराराम पुत्र मोतीराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:41:31 IST
Reason: SelfAttested